

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA
EXTRAORDINARY PART (ii), SECTION 3 SUB-SECTION (II)
DATED THE 30th May, 1996

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

.....
New Delhi, the 30-05, 1996

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O. _____ (E) In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 139A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Board hereby specifies that every person who is assessed or liable to be assessed by the Assessing Officer falling under the control of income-tax authorities mentioned in the Table below and, -

- (a) who has not been allotted a permanent account number and -
- (i) if his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under the Income-tax Act, 1961 during any previous year exceeded the maximum amount which is not chargeable to income-tax; or
 - (ii) carrying on any business or profession whose total sales, turnover or gross receipts are or is likely to exceed fifty thousand rupees in any previous year; or
 - (iii) who is required to furnish a return of income under sub-section (4A) of section 139 of the Income-tax Act, 1961; or
- (b) who has been allotted a permanent account number other than under the new series,-

shall apply within the period of thirty days beginning with the 1st day of June, 1996 and ending on 30th day of June, 1996 in respect of assessment year 1996-97;

to the concerned Assessing Officer falling under the control of the income-tax authorities mentioned under the Table below for the allotment of a permanent account number under the new series, namely:-

Table
Income-Tax Authorities

1. Chief Commissioners of Income-tax - I, II and III, Delhi;
2. Chief Commissioners of Income-tax - I, II and III, Mumbai;
3. Chief Commissioners of Income-tax - I and II, Madras;
4. Commissioners of Income-tax (Central) - I and II, Delhi;
5. Commissioners of Income-tax (Central) - I, II and III, Mumbai;
6. Commissioners of Income-tax (Central) - I and II, Madras;
7. Directors of Income-tax (Exemption), Delhi, Mumbai and Madras;

(c) Every person to whom clause (a) or (b) of this notification becomes applicable on or after the 1st day of any previous year relevant to the assessment year 1997-1998 or any subsequent year, shall apply for the allotment of a permanent account number under the new series to the concerned Assessing Officer falling under the control of the income-tax authorities mentioned above during any period on or before the 30th day of June in any assessment year subsequent to the assessment year 1996-1997:

Provided that the persons to whom permanent account number under the new series has already been allotted shall not apply for such number again.

Sd/-

Prabodh Sethi
(Dr. Prabodh Sethi)

Under Secretary to the Government of India

F.No. 142/17/96-TPL

No... 10100

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड iii। तारीख 30 मई, 1996 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

नई दिल्ली, तारीख 30 मई, 1996

अधिसूचना

३०५२/९६

- का. आ. 131 बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139 क की उपधारा 14। द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिर्दिष्ट करता है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे नीचे सारणी में उल्लिखित आय-कर प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन आने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण किया गया है पर जो निर्धारित किए जाने के लिए दायित्वाधीन है और, -
- i। जिसे स्थाई लेखा संख्या आवंटित नहीं किया गया है और
 - ii। यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसकी बाबत वह किसी पूर्व वर्ष के दौरान आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन निर्धारण है ऐसी अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार नहीं है, या,
 - iii। कोई ऐसा कारवार या ऐसी वृत्ति कर रहा है जिसका कुल विजय आवत या सकल प्राप्तियां किसी पूर्व वर्ष में पचास हजार रुपए से अधिक हैं या होने की संभावना है, या
 - iiii। जिससे आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा 14क। के अधीन आय कर की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है या
 - v। जिसे नई श्रृंखला से भिन्न के अधीन स्थाई लेखा संख्या आवंटित किया गया है, --

1 जून, 1996 से आरंभ होकर और 30 जून, 1996 को समाप्त होने वाली तीस दिन की अवधि के भीतर निर्धारण वर्ष 1996-97 की बाबत,

नई श्रृंखला के अधीन स्थाई लेखा के आवंटन के लिए नीचे की सारणी में उल्लिखित आय कर प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन आने वाले सम्बद्ध निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेगा,
अर्थात् :-

1. मुख्य आय कर आयुक्त I, II और III दिल्ली
2. मुख्य आय कर आयुक्त I, II और III मुम्बई
3. मुख्य आय कर आयुक्त I और II मद्रास
4. आय कर आयुक्त केन्द्रीय I और II दिल्ली
5. आय कर आयुक्त केन्द्रीय I, II और III मुम्बई
6. आय कर आयुक्त केन्द्रीय I और II मद्रास
7. आय कर निदेशक छूट दिल्ली, मुम्बई, मद्रास

ग। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसे पर निर्धारण वर्ष 1997-1998 या किसी पश्चात्तवर्ती वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के पहले दिन को या उसके पश्चात् इस अधिसूचना का खंड Iक या खंड Iख लागू हो जाता है, नई श्रृंखला के अधीन स्थायी लेखा संख्या के आवंटन के लिए निर्धारण वर्ष में 30 जून को या उसके पूर्व की किसी अवधि के दौरान आर उल्लिखित आय कर प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन आने वाले सम्बद्ध निर्धारण अधिकारी को आवंटन करेगा।

परन्तु यह कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें नई श्रृंखला के अधीन पहले ही स्थायी लेखा संख्या का आवंटन किया जा चुका है ऐसे व्यक्तियों के लिए पुनः आवंटन नहीं करेगा।

प्रो. २०/-

डा. प्रबोध सेठ ।

अवर सचिव, भारत सरकार

र.स. 16/60

फा. सं. 142/17/96-टी.पी.एल.

1996-97
के अन्तर्गत
किसी